न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 33/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
उम्मेदराम चौधरी पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी सियागो की ढाणियां नारवाकलां तहसील खींवसर जिला नागौर (राजस्थान) विकृचित जरिए वाद मित्र ज्याणी पत्नी उम्मेदराम जाति जाट निवासी सियागो की ढाणियां नारवाकलां तहसील खींवसर जिला नागौर, राजस्थान।		1 तहसीलदार खींवसर। 2 पटवारी हल्का नारवाकलां तहसील खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 21.02.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 68/2023 सरकार बनाम उम्मेदाराम में निर्णय दिनांक 20.03.2023 के तहत मौजा अखावास की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.06.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 06.07.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार खींवसर की पत्रावली संख्या 68/23 की फोटोप्रति, ज्याणी के आधार कार्ड की फोटोप्रति, उम्मेदराम के रासन कार्ड की फोटोप्रति, उम्मेदराम के मेडिकल रिपोर्ट की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)– अपीलार्थी का रहवासी मकान करीब 20 वर्ष से अधिक अवधि पूर्व का बना हुआ है जो मकान व टांका अपीलार्थी के खेत में सीव पर बना हुआ है जो स्वयं की खातेदारी भूमि में निर्मित है किसी भी प्रकार से खसरा नम्बर 136 गैर मुमकिन मगरा पर निर्मित नहीं है बल्कि स्वयं की खातेदारी की भूमि में है इस प्रकार से अपीलार्थी का किसी प्रकार से कोई अक्रिमण नहीं है व न ही सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ कोई नाप रिपोर्ट पेश नहीं की व न ही मुन्तकिल मुटाम से किसी प्रकार का कोई नाप चौप किया है। मकान वर्षों पुराना है ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आधार पर यह पूर्णयतया प्रमाणित है कि निर्माण सार्वजनिक भूमि पर नहीं है न ही सरकारी भूमि पर है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर घोर किये बिना ही गलत रूप से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी प्रकार की सुनवायी व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया व न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस अपीलार्थी पर तामिल ही हुआ है। नोटिस जारी करने व तामिल होने का कोई इन्द्राज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में नहीं है व सम्मन तामिल हुआ या नहीं व कब हुआ इसका कोई अंकन न तो आदेशिका में है व न ही निर्णय में है। इस प्रकार से बिना सम्मन तामिल के ही एक पक्षीय के रूप में बिना साक्ष्य सुनवायी का अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को समुचित साक्ष्य व सुनवायी करा किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया व न ही किसी प्रकार का नोटिस जारी किया व न ही ऐसा कोई नोटिस अपीलार्थी पर तामिल हुआ इसके बावजूद भी निर्णय पारित किया है जो न्याय के सामान्य सिद्वान्तो व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–अपीलार्थी का उक्त मकान उसकी खातेदारी की भूमि में बना हुआ है जिसमें वर्षों पुराना विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है तथा रहवास के दस्तावेज भी वर्षों पुराने है व किसी प्रकार से अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है उक्त तथ्य साक्ष्य व सबूत से प्रगाणित किये जा सकते है जिस हेतु अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया व बिना अवसर प्रदान किये ही गलत रूप से निर्णय पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)– अपीलार्थी पूर्व में भारतीय सेना में सेवारत रहा है जिसके सिर में चोट आने के कारण मानसिक रूप से बीमार होने के कारण अपीलार्थी को सेवानिवृत किया गया तथा इस संबंध में पटवारी हल्का को पूर्ण जानकारी रही फिर भी इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही किये बिना व बिना वाद मित्र नियुक्त किये प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VII)– अपीलार्थी पूर्व में पूर्व में भारतीय सेना में कार्यरत था। सिर में चोट आने के कारण ओरगेनिक मेनीकडिसओर्डर व माइल्ड कोगनिटिव डिसओर्डर बीमारी से ग्रसित होने के कारण मानसिक रूप से विकृचित हो गया जिस कारण से सर्विस योग्य नहीं रहने के कारण वादी को सेवानिवृत कर दिया तथा आज दिन भी उक्त बीमारी से ग्रसित है व मानसिक बीमार होने के कारण स्वयं किसी प्रकार का दावा पेश करने से असमर्थ है व ज्याणी वादी की विवाहिता पत्नी है जिसका हित वादी के साथ ही है किसी प्रकार का विपरीत हित नहीं है। इसलिए वादी के वाद मित्र की हैसियत से ज्याणी उक्त वाद पेश किया।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा अखावास में स्थित गै. मु. मगरा पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, खींवसर द्वारा मौजा अखावास के प्रकरण संख्या 68/2023 सरकार बनाम उम्मेदाराम में निर्णय दिनांक 20.03.2023 के तहत मौजा अखावास की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21.02.2023 के अनुसार भी मौजा अखावास के खसरा नं. 125 जो कि राजकीय भूमि है। उस पर अपीलांट का अतिक्रमण होना पाया गया तथा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस भी दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है, तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि मौजा अखावास के खसरा नम्बर 125 तथा खसरा नम्बर 136 की मौके पर जांच करें, यदि उक्त खसरान पर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे।

{6}– निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अशोक कुमार योगी)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर